सूचना

शैक्षिक सत्र 2018–19 के सामान्यवर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक जाति के शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति के लिए अर्ह जिन छात्र/छात्राओं के माता, पिता/अभिभावक के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय **रू0 2,00,00.00** या उससे कम है एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति के लिए अर्ह जिन छात्र/छात्राओं के माता, पिता/अभिभावक के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय **रू0 2,50,00.00** या उससे कम है ऐसे समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति आवेदन फार्म इण्टरनेट पर **दिनांक 31.8.2018** तक भरना सुनिश्चित करें। फार्म को ध्यानपूर्वक भरें। किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी। आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। इण्टरनेट पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भरे जाने का विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम, वर्ष एवं ब्रान्च	शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जो फार्म में भरी जानी है (रू0 में)
1	2	3
1	बी0टेक0 प्रथम वर्ष समस्त ब्रान्च (आई0टी0 को छोड़कर)	58350–00
	बी0टेक0 प्रथम वर्ष आई0टी0	73350–00
2	बी0टेक0 द्वितीय वर्ष समस्त ब्रान्च (आई0टी0 को छोड़कर)	57850–00
	बी0टेक0 द्वितीय वर्ष आई0टी0	72850–00
3	बी0टेक0 तृतीय वर्ष समस्त ब्रान्च (आई0टी0 को छोड़कर)	57850–00
	बी0टेक0 तृतीय वर्ष आई0टी0	72850–00
4	बी0टेक0 चतुर्थ वर्ष समस्त ब्रान्च (आई0टी0 को छोड़कर)	57850–00
	बी0टेक0 चतुर्थ वर्ष आई0टी0	72850–00
5	एम0सी0ए0 प्रथम वर्ष	43350–00
6	एम0सी0ए0 द्वितीय वर्ष	42850–00
7	एम0सी0ए0 तृतीय वर्ष	36700–00
8	एम0टेक0 प्रथम वर्ष (पूर्णकालिक)	53350–00
9	एम0टेक0 द्वितीय वर्ष (पूर्णकालिक)	52850–00

नोटः

1. सभी छात्र/छात्राएं अपना आधारकार्ड बैंक बचत खाते से लिन्क कराते हुए छात्रवृत्ति फार्म में आधार कार्ड संख्या भरना अनिवार्य है।
2. **शैक्षिक सत्र 2018–19 में स्पाट काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगें।**

(एम0 के0 गुप्ता)
शैक्षिक अधिष्ठाता

शैक्षिक अनुभाग
कमला नेहरु प्रौद्योगिकी संस्थान, सुलतानपुर।

पत्रांकः 188/6/222/2018 — दिनांकः 16/08/2018

प्रतिलिपिः

1. समस्त सूचना पट्ट।
2. प्रभारी वेबसाइट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

(एस0 सी0 भट्ट)
कुलसचिव

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

संख्या स्ती- 1089 /सक/शिक्षा–अ/3/43/2018–19

लखनऊ दिनांक 27 जून 2018

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–:उ0प्र0 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2012 (सप्तम संशोधन)–2018 के प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 148/2018/2063/26–3–2018–4(358)/07 टीसी iii दिनांक 26–06–2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उ0प्र0 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2012 (सप्तम संशोधन)–2018 प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के अन्तर्गत वर्ष 2018 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार कतिपय प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम सम्मिलित किया गया है।

अतः संलग्न नियमावली की प्रति प्रेषित करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियमावली को विश्वविद्यालय एवं समस्त शिक्षण सस्थाओं आदि में में प्रेषित करते हुये प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

27.06.18

(जगदीश प्रसाद)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नियमावली की प्रति छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5– वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
6– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0।
7– उप निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग, उ0प्र0।

(जगदीश प्रसाद)
निदेशक

FC|DD(T)|SNO

श्री शुक्ला | श्रीमती ओमिता | श्री सत्यानन्द
श्री रमेश
हे . समन्वय DD | DSWO | NIC को भेजे

26.6.2018

समाज कल्याण अनुभाग–3

संख्या–148/2018/2063/26–3–2018–4(358)/07टी.सी.।।।

लखनऊः दिनांकः26 जून 2018

कार्यालय ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–101/2017/आर–1614/26–3–2017–4(358)/07टी.सी.।।, दिनांक–23.06.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2012 (षष्टम संशोधन)–2017" पर सम्यक्विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से उक्त नियमावली में भारत सरकार की गाईड–लाइन के अनुसार कतिपय प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम जोड़ते हुये "उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (सप्तम संशोधन) नियमावली–2018" निम्नवत् किया जाता है:–

वर्तमान नियम	प्रस्तावित नियम
यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2016 कहलायेगी।	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (सप्तम संशोधन) नियमावली–2018 कहलायेगी।
5(XVII)- (क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।	5(XVII)- (क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास /मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। नोट :–1 राजकीय व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम में एक ही बार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनराशि भुगतान किये जाने पर छात्र/छात्राएं इस योजना में अपात्र होंगे। नोट :– 2 किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पाट (spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

SC.O
तत्काल निर्गत करें।
26/6/18
DD(T)

shiv-UO